



नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलम्बन

फतेहगढ़ पुलिस



* मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण *

#OperationConviction

दिनांक-08.06.2026

कोतवाली- फर्रुखाबाद

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान व “ मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण ” के दृष्टिगत महिला संबंधी अपराधों में प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त अमन पुत्र चमन निवासी कटरा बूअली खॉ कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़ मु0अ0सं0 - 183/2017 वाद संख्या 25/2017 धारा 354,363,506,354बी भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था। जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रि के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए मा0 न्यायालय स्पेशल जज व पॉक्सो कोर्ट द्वारा दिनांक 08.06.2026 को अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 05 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 17000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी - श्री तेजी सिंह



एडीजीसी - श्री विकास कटियार



को0 मो0 म0 का0 प्राची



पैरोकार - का0 राजीव कुमार

प्रेस नोट - थाना कम्पिल

दिनांक - 08.06.2026

थाना कम्पिल पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 99/2026 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट से सम्बन्धित 02 वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ के निर्देशान, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री यमुना प्रसाद के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कम्पिल पुलिस द्वारा थाना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 99/2026 धारा 80/85(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट में वांछित 02 अभियुक्त 01. राहुल कुमार पुत्र रामसरन 02. रामसरन पुत्र वीरसहाय निवासीगण ग्राम प्रीतम नगला थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. राहुल कुमार पुत्र रामसरन निवासी ग्राम प्रीतम नगला थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़।
2. रामसरन पुत्र वीरसहाय निवासी ग्राम प्रीतम नगला थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़।

घटना का विवरण :- दिनांक 06.06.2026 को वादी द्वारा सूचना दी गई कि अभियुक्तगणों द्वारा वादी की पुत्री से अतिरिक्त दहेज के रूप में एक लाख रु. व सोने की जंजीर की मांग करना तथा मांग पूरी न कर पाने पर वादी की पुत्री को प्रताडित करना व अपने ही घर में हत्या कर देने के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कम्पिल पर मु0अ0सं0 99/2026 धारा 80/85(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट बनाम राहुल कुमार आदि 06 अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में अभियुक्तगण 01. राहुल कुमार पुत्र रामसरन निवासी ग्राम प्रीतम नगला थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़ 2.रामसरन पुत्र वीरसहाय निवासी ग्राम प्रीतम नगला थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर अपनी सफाई अपने वकील के माध्यम से माननीय न्यायालय में देना बताया।

अभियुक्त राहुल कुमार उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 99/2026 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़।

अभियुक्त रामसरन उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 99/2026 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार करने वाली थाना कम्पिल पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री नितिन चौधरी
2. उ0नि0 श्री दिनेश कुमार
3. का0 अमित कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़।